

प्रथम अंक:- मार्च, 2025

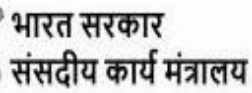
75
वर्ष
संविधान के



वास्तु



केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना



उद्देशिका

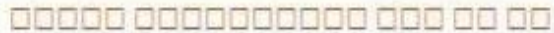
हम, भारत के लोग,

भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी
पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में,

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता, सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।





सतिंदर पाल सिंह
महानिदेशक
SATINDER PAL SINGH
Director General



CPWD
भारत सरकार
महानिदेशालय-केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
Government of India
Directorate General - C.P.W.D.
Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel : 23062556/1317, Fax : 23061884
E-mail: cpwd_dgw@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पटना (अंचल कार्यालय) की ओर से राजभाषा के उत्तरोत्तर विकास और प्रचार-प्रसार के लिए अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका “वास्तु” के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके लिए पत्रिका परिवार के सभी सदस्य, रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

आप सभी को यह विदित होगा कि किसी भी कार्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम राजभाषा हिन्दी को नवीन आयाम प्रदान करें और भाषाई एकता के संकल्प को साकार करें।

मैं “वास्तु” पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, साथ ही यह भी अपेक्षा करता हूँ कि हिंदी के कार्यान्वयन हेतु ऐसे नवीन और रचनात्मक प्रयास करते रहें, जिससे हिन्दी भाषा को विस्तार प्राप्त हो।

मैं इस पत्रिका के सफल विमोचन की मंगल कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

इ.म. मी. सिंह
(सतिंदर पाल सिंह)



अपर महानिदेशक (पटना)

का संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पटना (अंचल कार्यालय) अपनी राजभाषा अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका “वास्तु” का प्रथम अंक प्रकाशित करने जा रहा है। राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है।

एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषण और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिन्दी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है।

मैं इन पत्रिकाओं के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सृजनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए एक और मंच प्राप्त होता है तथा साथ ही पाठकों को संबंधित कार्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी भी मिलती है।

मैं राजभाषा पत्रिका “वास्तु” के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को पत्रिका के प्रथम अंक के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

धन्यवाद।

नंदिनी मुखोपाध्याय

(नंदिनी मुखोपाध्याय)



जयंत मिश्र, भा.रा.से.

JAYANT MISRA, I.R.S.



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX
BIHAR & JHARKHAND

प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001

1st FLOOR C.R. BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA - 800001

दूरभाष नं./Tel No.: 0612-2504447,

ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

संदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय), पटना के लिए यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता कार्यालय, पटना की ओर से अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका "वास्तु" के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके लिए पत्रिका परिवार के सभी सदस्य, रचनाकार एवं संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

राजभाषा हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराने और हर प्रकार से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिन्दी जनसंपर्क की भाषा के रूप में एक सशक्त कड़ी का काम करते हुए राष्ट्रीय अस्मिता और भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक बन चुकी है।

ऐसे में मुझे आशा है कि "वास्तु" का यह अंक विभाग में सरकारी कामकाज को हिन्दी में करने का वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाने के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मकता व साहित्यिक अभिरुचियों को व्यक्त करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा।

पत्रिका के सफल संपादन एवं सतत प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं।

धन्यवाद।

(जयंत मिश्र)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बि.एवं झा., पटना सह अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय), पटना



मुख्य अभियंता (पटना)

का संदेश

प्रिय साथियों,

सर्वप्रथम, मैं आप सभी को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना(बिहार) के हिन्दी विशेषांक के 'वास्तु' के इस प्रथम अंक के लिए बधाई देता हूँ। यह पत्रिका न केवल हमारे संगठन के विविध पहलुओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि यह हमारे कर्मचारियों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा उनके अंदर के कलागुणों को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त मंच भी है और बेहद खुशी की बात है कि यह पत्रिका हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके परिवार की रचनात्मकता का उदाहरण है, इसी कारण इस अंक का प्रकाशन एक सुखद अनुभूति है।

भाषा और संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है। हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण आज विश्व के सभी देशों में हिन्दी सीखने, समझने और बोलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हिन्दी हमारे देश के जन-जन के मन में बसी हुई भाषा है। आज वैश्विक कंपनियाँ हिन्दी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं।

आशा है कि यह विशेषांक हमारे सभी पाठकों को प्रेरित करेगा और हिंदी भाषा के महत्व को समझने में सहायक होगा। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाएँ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सृजनशील प्रतिभा को दर्शाती हैं और मुझे आशा है कि विविध विषयों से संबंधित जानकारी आपके लिए उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। आइए, हम सभी मिलकर इसे और भी समृद्ध बनाएँ और राजभाषा हिंदी को हमारे कार्यस्थल का अभिन्न हिस्सा बनाएं।

धन्यवाद,

प्रियांक मित्तल

(ई. प्रियांक मित्तल)



अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक

(आईआईटी एवं एम्स परियोजना पटना)

का संदेश

प्रिय साथियों,

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पटना द्वारा हिंदी पत्रिका 'वास्तु' का प्रकाशन आरंभ हो रहा है। हिन्दी हमारी राजभाषा है। एक ओर यह प्रकाशन हिंदी के बढ़ते प्रयोग के प्रति हमारे विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर यह हमें हिंदी में अपना कार्य अधिकाधिक करने के लिए प्रेरित करता है।

इस हिंदी भाषी राज्य में हमारे अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। हमारे मौलिक विचार प्रायः हिंदी में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए हिंदी के प्रयोग से हम अपने विचारों को सर्वोत्तम तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं।

इन प्रयासों से हिंदी के प्रयोग में हमारा आत्मविश्वास अवश्य बढ़ता है तथा हम सभी को प्रेरणा मिलती है। इन प्रयासों से हमारा सृजनात्मक व्यक्तित्व भी निखरता है तथा विभिन्न क्षेत्रों के विषयों के प्रति हमारी सोच एवं समझ बढ़ती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से इस पत्रिका में योगदान देने वाले सभी प्रतिभागियों एवं सम्पादकीय मंडल को बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका का प्रकाशन हमारी राजभाषा हिंदी के बढ़ते प्रयोग एवं समझ में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

धन्यवाद।

योगेन्द्र
(योगेन्द्र सिंह)



वास्तुक (पटना) का संदेश

प्रिय साथियों,

यह मेरे लिए अत्यधिक हर्ष और गर्व का विषय है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना द्वारा इस वर्ष अपनी अर्धवार्षिक पत्रिका 'वास्तु' के प्रथम अंक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह पत्रिका हमारे विभाग के कार्यों की रचनात्मकता का प्रतीक है।

इस पत्रिका का उद्देश्य केवल कार्यों को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मिकों को सही दिशा और मार्गदर्शन देने का एक सशक्त माध्यम है। हमारा यही प्रयास रहा है कि कर्मिक न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तित्व विकास और सामाजिक दायित्व के दृष्टिकोण से भी सशक्त हो।

मैं आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने गंतव्य में सफल होगी एवं राजभाषा कार्यान्वयन में मददगार साबित होगी। मैं उन सभी कर्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पत्रिका के प्रकाशन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

मैं पत्रिका के निरंतर प्रकाशन के लिए कामना करता हूँ। इस अंक के प्रकाशन से जुड़े सभी कर्मिकों एवं संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

धन्यवाद।

अभिजीत वर्द्धन

(अभिजीत वर्द्धन)

वास्तुक



कार्यपालक अभियंता (पटना-1)

का संदेश

प्रिय साथियों,

यह अति प्रसन्नता का विषय है कि मुख्य अभियंता (पटना-1), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना (पूर्वी क्षेत्र) के द्वारा विभागीय हिन्दी पत्रिका “वास्तु” के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण किंतु नीरस एवं निर्माण कार्य संबंधी जैसे गंभीर और उत्तरदायित्वों से भरे कार्यों के निष्पादन के मध्य विभागीय प्रतिभाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन को समाहित करती हुई हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है और यही इसकी विशेषता भी है। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों विशेषकर पटना (बिहार) स्थित कार्यालयों में हमें संपूर्ण भारत के विविध भाषा-भाषी अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है ऐसे में किसी एक स्थान पर सभी को पत्रिका के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना भी अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।

मुझे विश्वास है कि “वास्तु” हिन्दी पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार के साथ विभागीय अभिरूचियों और उपलब्धियों को पर्याप्त स्थान देते हुए पत्रिका प्रकाशन की गौरवमयी परंपरा को सतत् बनाये रखेगी। मैं इस प्रकाशन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों और रचनाकारों को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

धन्यवाद।

(ई कृष्ण मोहन कुमार)



कार्यपालक अभियंता (पटना-2)

का संदेश

प्रिय साथियों,

मुझे यह जानकारी हर्षानुभूति हो रही है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना द्वारा इस वर्ष अपनी अर्धवार्षिक पत्रिका 'वास्तु' के प्रथम अंक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन सरकारी संगठनों का एक ऐसा उपक्रम है जिसका रचनात्मक महत्व तो है ही, साथ-ही-साथ विभागीय जानकारी दर्शाने के साथ राजभाषा के प्रचार-प्रसार को भी दिशा मिलती है।

पत्रिका का उद्देश्य केवल कार्यो को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मिकों को सही दिशा और मार्गदर्शन देने का एक सशक्त माध्यम है। हमारा यही प्रयास रहा है कि अपने संगठन के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे को प्रेरित करें।

मैं आशा करता हूँ कि यह पत्रिका अपने मंतव्य में सफल होगी एवं राजभाषा कार्यान्वयन में मददगार साबित होगी।

पत्रिका से जुड़े संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

धन्यवाद।

अमन

(अमन अशिलेष)



कार्यपालक अभियंता (दीघा परियोजना) का संदेश

प्रिय साथियों,

मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना द्वारा 'वास्तु' के प्रथम अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह पत्रिका हमारे विभाग के कार्यों की रचनात्मकता का प्रतीक है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना के लिए यह बड़ा ही गर्व का विषय है कि वर्तमान वर्ष के दौरान ही हिंदी पत्रिका 'वास्तु' के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रयास से जहां एक ओर हिंदी लेखन में रुचि रखने वाले सभी कार्मिकों को अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सुअवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राजभाषा हिंदी पत्रिकाओं को प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार के लिए इस हिंदी पत्रिका को पात्रता भी प्राप्त हो जाएगी।

मैं उन सभी रचनाकारों, संपादक मंडल और अन्य सभी सदस्यों को इस सार्थक योगदान के लिए बधाई देता हूँ, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना के माध्यम से हिंदी की प्रतिष्ठा में जुटे हुए हैं। मैं 'वास्तु' के प्रथम अंक के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

धन्यवाद।

मनीष कुमार कनोडिया

(मनीष कुमार कनोडिया)



कार्यपालक अभियंता (वै०) पटना का संदेश

प्रिय साथियों,

यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि के.लो.नि.वि., पटना द्वारा इस वर्ष अपनी अर्धवार्षिक पत्रिका 'वास्तु' के प्रथम अंक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लगभग 32 वर्षों से अपनी सेवा लगातार दे रहा हूँ। इस विभाग का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व और सम्मान का विषय है, इस विभाग का अपना 171 वर्षों का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। सन् 1854 से शुरुआत करने वाला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आज निर्माण कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता हेतु एक प्रेरणादायक संस्थान बनकर उभरा है और बढ़ते हुए वर्षों के साथ निरंतर नवाचार और सृजन की कहानी लिख रहा है।

इस विभाग की सफलता में हर सदस्य का समर्पण और योगदान सराहनीय है। हम सभी आज संगठन की साझा विरासत पर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यह विभाग निर्माण क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करें और विकसित भारत का सपना साकार करें। आइए हम सभी साथ मिलकर अपने समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ इस विभाग को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने का समुचित प्रयास करें।

अनेक शुभकामनाओं सहित,

अर्जुन प्रसाद
(अर्जुन प्रसाद)

सम्पादकीय मंडल

संरक्षक

ई. प्रियांक मित्तल

मुख्य अभियंता (पटना) सह अध्यक्ष
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
पटना(बिहार)।

प्रधान सम्पादक

श्री रीतेश कुमार श्रीवास्तव, सहा० प्रशा० अधिकारी,

परामर्श सम्पादक

श्री अभिषेक कुमार चौधरी, आशुलिपिक

तकनीकी सम्पादक

श्री गिरीश कुमार सिंह, आशुलिपिक

सह-सम्पादक

श्रीमती अर्चना सिन्हा, आशुलिपिक
श्री दयानंद कुमार, आशुलिपिक

प्रबंध-सम्पादक

श्री कुंदन कुमार, उ.श्रे.लि.,
श्रीमती कुमारी पल्लवी सिंहा, उ.श्रे.लि.
श्री रजनीश कुमार, अ.श्रे.लि

संपर्क-सम्पादक

श्री ब्रजेश श्रीवास्तव, उ.श्रे.लि.,
श्री जय प्रकाश यादव, उ.श्रे.लि.,
श्री गणेश कुमार, एम.टी.एस

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पृ.सं.
1.	भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी	13
2.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)- एक गौरव गाथा	16
3.	वास्तु बोले	17
4.	पेड़ की व्यथा	18
5.	बसंत पंचमी	19
6.	नौ अंक का महत्व	21
7.	प्यार का उपहार	22
8.	साहित्य	23
9.	पाटलीपुत्रा मगध का स्वर्णिम स्वरूप	25
10.	आशा	25
11.	ई.आर.पी का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में महत्व	26
12.	भूकंपरोधी भवन	28
13.	हिन्दी और संस्कृत साहित्य	30
14.	कम्प्यूटर: आज की आवश्यकता	32
15.	निर्झर	33
16.	भारत की समेकित संस्कृति	34
17.	आत्मसम्मान	38
18.	राजभाषा नियम, 1976	39
19.	सर्दियां हुई छोटी	45
20.	मधुबनी चित्रकला	46
21.	हिन्दी भाषा का सम्मान	48
22.	मंजिल	49
23.	जिदंगी का सफर	50
24.	राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर	51
25.	बेटियाँ	52
26.	विकास या विनाश	53
27.	मौलिक रचना	54
28.	घिबली	56

टिप्पणी

इस पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं। इसके लिए संपादक मंडल उत्तरदायी नहीं होंगे प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विचारों व लेखन की मौलिकता संबन्धित पूर्ण जिम्मेदारी रचनाकार की स्वयं की है।

पत्रिका में प्रकाशित कुछ चित्र गूगल (अन्य वेबसाइटों) से लिया गया हैं।

भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी

“मन की भाषा, प्रेम की भाषा
हिन्दी है, भारत जन की भाषा”

प्रस्तावना:-

विश्व में अनेक प्रकार की भाषा के द्वारा वाचन कार्य किया जाता है। हिन्दी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। वैसे भारत में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिन्दी भाषा का अपना महत्व है। जिसके कारण यह लोगों के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखना है। अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने के कारण हिन्दी को महात्मा गाँधी ने सन् 1917 में गुजरात के सम्मेलन में राजभाषा के रूप में स्वीकारे जाने के लिए ज़ोर दिया था।

“मेरा यह मत है, कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान
की राष्ट्रभाषा हो सकती है। और होनी चाहिए “

महात्मा गाँधी

राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा:-

समाज में जिस भाषा का प्रयोग करके बहुत सारे लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और उस भाषा का प्रभाव क्षेत्र और अधिक विस्तृत होकर पूरे राष्ट्र में फैल जाता है। तब वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है।

अर्थात् राष्ट्रीय भाषा का अर्थ उस भाषा से है, जिस भाषा का उपयोग करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिस भाषा का इस्तेमाल राजकीय कार्यों में किया जाता है। उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। जिस भाषा का प्रयोग केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा-पढ़ी में किया जाए तो उसे राजभाषा कहते हैं।

राजभाषा के रूप में हिन्दी:-

हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितम्बर, 1949 को स्वीकृत किया गया। संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रतिवर्ष हिन्दी के सम्मान में सभी राष्ट्रवासियों द्वारा हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

“राष्ट्रीय एकता की कड़ी
हिन्दी ही जोड़ सकती है।”

बालकृष्ण शर्मा नवीन

वर्तमान में हिन्दी का हाल:-

आजादी के इतने साल बाद भी हिन्दी पूरी तरह से भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। उत्तर भारत में हिन्दी बोलने वाले लोग ज्यादा है। जबकि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के बदले अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी का इस्तेमाल करते है। आज के माता-पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे है, ताकि समाज में उनका गौरव बना रहे। हिन्दी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी भाषा ने अपना सिक्का जमा दिया है।

राष्ट्रभाषा विकास संबंधी प्रयत्न:-

देश में आज हिन्दी भाषा को जो अधिकार मिलनी चाहिए थी, वह उसकी अधिकारिणी नहीं बन पायी। पूरे देश को एकजुट होकर राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी को बचाने के लिए जरूरी प्रयास करने होंगे। सरकार भी आज हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित कर रही है। हिन्दी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिन्दी की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती है।

**“हिन्दी भाषा को सम्मान दो
गुणों की खान है, हिन्दी
हर भाषा में महान है, हिन्दी
भारत की पहचान है हिन्दी”**

राजभाषा हिन्दी की विशेषताएँ:-

- अन्य भाषाओं के शब्द हिन्दी भाषा में भी समाहित है।
- इस भाषा को समझना और सीखना आसान है।
- इस भाषा को संस्कृत भाषा की बेटा कहा जाता है।
- इसके साहित्य का क्षेत्र भी विशाल है।

क्यों है। हिन्दी हमारी राजभाषा:-

- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा किसी भाषा को राजभाषा होने का निम्न लक्षण बताए गये है:-
- आसान होना चाहिए- राजभाषा होने के लिए वो भाषा का आसान होना आवश्यक है।
 - बोलने वाले की संख्या अधिक हो- उस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
- उपर्युक्त लक्षणों के कारण ही हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।

हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए संघर्ष:-

हिन्दी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधीजी और अन्य द्वारा कई आंदोलन किए गये। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता गाँधी द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया, इन्होंने ही हिन्दी को जनमानस की भाषा भी बतायी थी।

“हैं ये वतन हमारा हिन्दी, हिन्दुस्तान इसे हम कहते हैं।
राष्ट्रभाषा है अपनी हिन्दी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं।”

निष्कर्ष:-

राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हिन्दी भाषा लोगों के बीच से कहीं-न-कहीं गायब होती जा रही है, और अंग्रेजी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हिन्दी भाषा राजभाषा से हमारे बीच से ओझल हो जाएगी। हिन्दी भाषा का प्रभुत्व राज भाषा के रूप में बना रहे इसके लिए हमें प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होगा। सरकारी कामकाजों में हिन्दी को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम सब मिलकर हिन्दी भाषा को विश्व की ओर लेकर अग्रसर होंगे। हिन्दी भाषा प्रत्येक भारतवासी का गौरव है।

“हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।”



अभिषेक कुमार चौधरी, आशुलिपिक ग्रेड-1
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।



दीपशिखा, सुपुत्री कुमारी पल्लवी सिंहा,
उ०श्रे०लि०
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।



केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)- एक गौरव गाथा

ईंट-पत्थर से भवन न बनते, सपनों से आकार ये पाते।
जोड़े जो भारत के कोने-कोने, वो CPWD कहलाते।

सड़कों पर जो रौशनी बिखेरे, ऊंचे पुल जो मिलन कराते,
हर इमारत की नींव में बसते, हम उन हाथों को पहचानें।

सरकारी दफ्तर, आवास सुंदर, सीमाओं तक जिनकी डगर,
राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में, CPWD का योगदान अमर।

नक्शों में जो रूप बनाएं, इंजीनियरों के संग निभाएं,
हर कोना हर छत की मजबूती, हर निर्माण की जान कहलाएं।

नव निर्माण की नींव जो रखते, हर योजना को सच कर जाते,
भूकंप हो या तेज बवंडर, CPWD फिर भी खड़ा रह जाता।

सरकारी भवन, स्मारक गौरव, राष्ट्र की सेवा में हैं तत्पर,
नए भारत की आशा बनकर, CPWD है श्रम का श्रृंगार।

हर नींव की ये मजबूती, हर सड़क की पहचान,
राष्ट्र विकास का प्रहरी बनकर, CPWD रखे अभिमान!



शाधु शरण प्रसाद
सहायक प्रशा. अधिकारी,
के.लो.नि.वि., मुजफ्फरपुर।

वास्तु बोले

दिशाएँ बोलें, ऊर्जा जागे,
वास्तु का मंत्र, जीवन साधे।
पूर्व में सूर्य, पश्चिम में छाया,
उत्तर में कुबेर, दक्षिण में माया।

ब्रह्मस्थान में ऊर्जा का केंद्र,
खुशियों का द्वार, सुख का प्रबंध।
रसोई अग्नि, शयन कक्ष शांति,
अध्ययन में ज्ञान, आंगन में कांति।

जल का स्थान उत्तर-पूर्व में हो,
स्वच्छ और निर्मल सदा वह बहे।
शौचालय दक्षिण-पश्चिम में रखें,

नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएँ।
रंगों का चयन, प्रकृति से नाता,
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कराता।
पेड़-पौधे, हरियाली लाएँ,
शुद्ध वायु से जीवन महकाएँ।

वास्तु के नियम, जीवन का सार,
सुख-समृद्धि का हो विस्तार।
घर हो ऐसा, जहाँ शांति बसे,
वास्तु के मंत्र से जीवन सजे।

खमदार न है



यशस्वी ठाकुर,

सुपुत्री- श्री दुर्गा नंद ठाकुर,
व०सचि०सहा०, मुख्य अभि. (पटना)
का कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।



पेड़ की व्यथा

पेड़ की व्यथा

इंसानों के जंगल से निकल बहुत दूर आ चुके थे। अब उच्च पथ पर लम्बी सड़कें ही थी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही थी। मुझे बहुत सारे बेर के पेड़ दिखे। खुशी की बात यह थी कि उसमें बेर भी थे। कुछ पके, कुछ अधपके और कुछ बिल्कुल कच्चे। मैं उन बेर के पेड़ों के पास खड़ी होकर अपने लिए कुछ पके बेर ढूँढ़ रही थी। उनको निहार रही थी, उनसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। मेरे साथ वाले सभी गाड़ी में ही बैठे थे। मेरे आसपास उन बेर के पेड़ों के अलावा कुछ और भी पेड़ थे। तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मुझे डर लगा कि कहीं भूत-वूत तो नहीं है। मैंने पूछा 'कौन'? तभी एक बड़े से पेड़ की टहनी ने मेरे कंधे को छुआ। मैंने उसे पलट कर देखा तो उस टहनी ने फुसफुसा कर पूछा "मेरे से बात करोगी"। मैं आश्चर्य में थी क्योंकि कुछ ही देर पहले मैं

यही सोच रही कि "काश मैं इनसे बातें कर पाती"। खैर मैंने बोला "हाँ जरूर" उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उसके छाँव में खड़ी हो गई। उस पेड़ ने मुझे ढक लिया और वो हर आने जाने वाले से पूछने लगा "क्या तुम मुझे काटोगे"। कुछ उसकी बातों को सुने बिना चले गए। कुछ ने हँस कर उसकी तरफ देखा। कुछ ने उसके ही पत्तों को तोड़कर अपने हाथ पोंछे तथा कईयों ने उसके ऊपर पान, गुटखा के पीक थूके। मैं ये सब देख रही थी। मैं निकल कर बाहर आई, उससे पूछा तुम सबसे ये क्यों पूछ रहे हो कि "क्या तुम मुझे काटोगे"। उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले तक यहाँ उसके जैसे काफी पेड़ होते थे। लेकिन उन्हें काट दिया गया। अब वो डरने लगा है और वो कटना नहीं चाहता। उस पेड़ ने मेरे से भी यही पूछा। मैंने बोला "नहीं मैं तुम्हें काटूँगी नहीं बल्कि बचाऊँगी।" मैंने उस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया। वहाँ एक प्याऊ बनाया तथा एक मूर्ति बैठा दी।

आने जाने वालों को और क्या चाहिए था- छाँव, पानी और आस्था।

कुछ सालों के बाद मैं वहाँ से गुजर रही थी तो उस पेड़ ने मुझे बताया कि अब वो डर कर नहीं जीता बल्कि डरते हुए छोटी-छोटी चिड़ियों, पक्षियों को खुद में आसरा देता है। मैंने उसको गले लगाया और फिर वापस आने का बोल निकल गई।



स्वाती रानी

अर्धागनी- श्री अभिजीत वर्धन, वास्तुक,
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।



बसंत पंचमी

आँख बंद कर बचपन देखा।
बचपन की थी एक पंचमी।
गाजर काटा, बेर चढ़ाया।
मिसरी कंद भी भोग लगाया।
बूंदिया की भी कमी नहीं थी।
सेव सजे-सजे से बैठे थे।
लाल गिरे थे, हरे गिरे थे।
पीले-पीले झड़े पड़े थे।
गुलालों की झड़ी लगी थी।
पीले सरसों फूल रहे थे।
खेतों में ये झूल रहे थे।
उछले कूदे शोर मचाए।
आओ अब सरस्वती वंदना गाए॥

स्वाती रानी



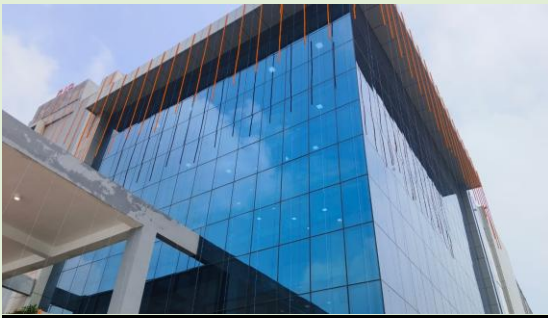
नियंता हर्षवर्धन

सुपुत्री - श्री अभिजीत वर्धन,
वास्तुक, मुख्य अभि. (पटना) का
कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।



उद्घाटन समारोह आई.जी.आई.एम.एस., पटना

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना द्वारा निर्मित आई.जी.आई.एम.एस., पटना में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन दिनांक 06.09.2024 को सम्पन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिंहा एवं माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी तथा इसकी अध्यक्षता माननीय श्री मंगल पाण्डेय, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार के कर-कमलों द्वारा किया गया।



केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना से इस उद्घाटन समारोह में विवेका नंद विवेक, मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता(वै०) एवं कार्यपालक अभियंता(दीघा परियोजना) के साथ अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान, अस्पताल के उद्घाटन हो जाने से बिहार एवं आस-पास के राज्यों के मरीज यहां उचित इलाज करवा सकेंगे। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। जिससे आधुनिक रूप से मरीजों का इलाज हो सकेगा।

गिरीश कुमार सिंह . आशुलिपिक

नौ अंक का महत्व

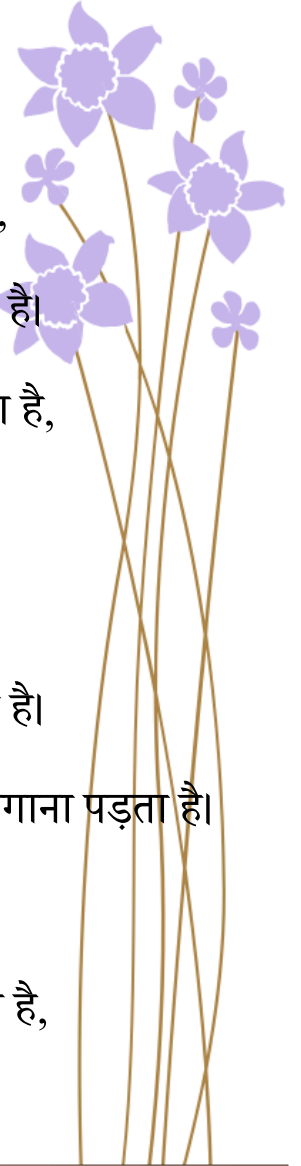
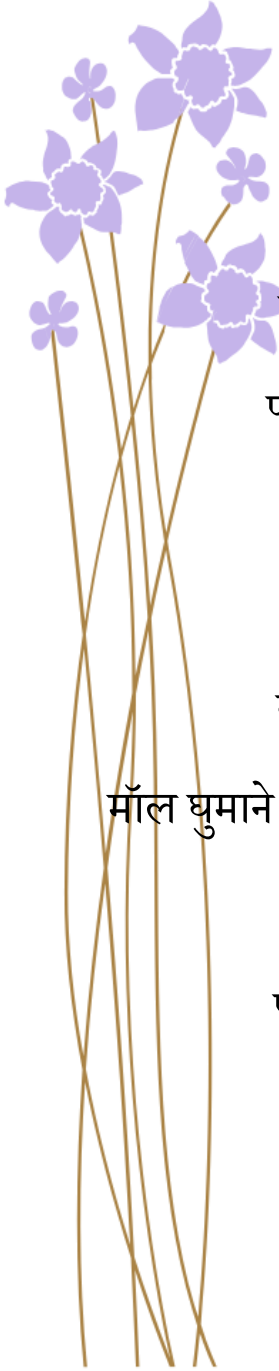
1. अंक - 9 है - 1,2,3,4,5,6,7,8,9
2. 9 का पहाडा लिखने पर उसके अंकों का योग 9 होता है।
3. 9 को चाहे जिस संख्याँ से गुणा किया जाय उसका गुणनफल का योग 9 ही होगा।
4. साहित्य में 9 रस है -
 1. शृंगार रस 2. हास्य रस 3. करुण रस 4. वीभत्स रस 5. वीर रस 6. भयानक रस 7. अद्भुत रस 8. रौद्र रस 9. शांत रस
5. हिन्दी में 9 रत्न है -
 1. चन्द्रबर 2. सूर 3. बिहारी 4. भूषण 5. मतिराम 6. देव 7. भारतेन्दु 8. हरिश्चन्द्र 9. तुलसी
6. बिक्रम के सभा में 9 रत्न थे -
 1. कालिदास 2. अमर सिंह 3. क्षपणक 4. वैताल 5. घटखर्पत 6. शंकु 7. धन्वन्तरी 8. वामा 9. वारहमिहिर
7. अकबर के दरवार में 9 रत्न थे -
 1. वीरबल 2. टोडरमल 3. अबुल फजल 4. मानसिंह 5. अमर सिंह 6. तानसेन 7. भगवान दास 8. अब्दुल रहमान 9. फैजी
8. खनिज रत्न 9 है -
 1. नीलम 2. पन्ना 3. पुखराज 4. हीरा 5. माणिक 6. मोती 7. गोमेद 8. मूँगा 9. लहसुनियाँ
9. ग्रह 9 है -
 1. सूर्य 2. चन्द्र 3. मंगल 4. बुध 5. गुरु 6. शुक्र 7. शनि 8. राहु 9. केतु
10. शक्तियाँ भी 9 है -
 1. श्रवण 2. कीर्तन 3. स्मरण 4. अर्चन 5. वन्दना 6. दास्य 7. आत्मनिवेदन 8. पादसेवन 9. संख्य (राशि)
11. दुर्गा 9 है -
 1. शैलपुत्री 2. ब्रहाचारिणी 3. चन्द्रघंटा 4. कुष्मांडा 5. स्कन्दमाता 6. कात्यायिनी 7. कालरात्रि 8. महागौरी 9. सिद्धिरात्री
12. मानसिक ग्राध्य प्रवृत्तियाँ 9 है -
 1. लक्ष्य 2. चातुर्थ 3. साहस 4. आशावादिता 5. दृष्टि 6. आत्मविश्वास 7. निश्चय 8. परदाता 9. विकेन्द्रण
13. मानसिक त्याज्य प्रवृत्तियाँ 9 है -
 1. भीरुता 2. वैराग्य 3. लक्ष्यहीनता 4. अंह 5. विचारहीन 6. अदृष्ट 7. अविवेक 8. अलगाव 9. अस्थिरता



प्रभाकर झा,

कार्यालय अधीक्षक, बोधगया
परियोजना परिमंडल,
के.लो.नि.वि., बोधगया।

प्यार का उपहार



प्यार किया पहले हमने, अब नीर बहाना पड़ता है,
 दर-दर की ठोकर खा करके, धरकी भी सुनना पड़ता है।
 पहले माँगा छोटा मोबाईल, अब बड़ा लेकर इठलाता है,
 फैशन में कमी हुई, बाजार घुमाना पड़ता है।
 स्नो पॉडर की बात नहीं शैम्पु भी लाना पड़ता है।
 बॉडी ब्लाज जब रहा नहीं, तब कर्ज ले लाना पड़ता है।
 मॉल घुमाने की बात नहीं, उनके चप्पल पर सुबह पॉलीस भी लगाना पड़ता है।
 रोटी खाना मैं बनाऊँ, कपड़ा भी धोना पड़ता है।
 परिवार हुआ लम्बा चौड़ा, अब खर्च नहीं चल पाता है,
 इसके आगे क्या कहूँ, भूखा भी रहना पड़ता है।



प्रभाकर झा,
 कार्यालय अधीक्षक, बोधगया
 परियोजना परिमंडल,
 के.लो.नि.वि., बोधगया।



हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

सुमित्रानंदन पंत



साहित्य

साहित्य ज्ञान का केवल स्रोत ही नहीं है साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है।

किसी भी देश की बौद्धिक संपदा का एक उचित मानक के रूप में साहित्य को वरियता दी जाती है। यह राष्ट्र की बौद्धिक क्षमता, विचार का परिचायक भी होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि साहित्य ही वह माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़कर रखता है।

साहित्य एक विशिष्ट परियोजन की भाषा है। साहित्य के अनेकों भाग हैं जिनमें से गैर-काल्पनिक गद्य, काल्पनिक गद्य, कविता और लोक कथा शामिल हैं। साहित्य कार्य का वह समूह है जो संस्कृति को भी प्रसारित करता है।

भारत की कला और संस्कृति जितनी पुरानी है उतना ही उसका साहित्य। साहित्य ना केवल एक ज्ञान का स्रोत है बल्कि नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है क्योंकि हमने ये देखा है कि विष्णु शर्मा की पंचतंत्र

की कहानियों के द्वारा बचपन में भी नैतिक और सामाजिक विकास का मार्गदर्शन मिला है।

प्रेमचंद्र जैसे महान रचनाकार के द्वारा रचित 'गोदान' ने तत्कालिक भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण द्वारा उसके सुधार की रूपरेखा तय किया है।

कोलंबियाई लेखक गेब्रियल मार्केज की पुस्तक 'एकांत के सौ वर्ष' ने जहाँ 7 पीढ़ियों की चित्रण यथार्थ दर्शन दिया साथ ही नैतिकता के बदलते स्वरूप को दिखाया है।

दयानंद सरस्वती द्वारा रचित "सत्यार्थ प्रकाश(1875)" ने जहाँ धर्म के नैतिक सिद्धांत को पुर्न रूप से नैतिक आधार पर परिभाषित किया। सत्यार्थ प्रकाश जैसी रचना ना केवल ज्ञान देती है बल्कि सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या जैसे विचार को समझने का एक मार्ग प्रदान करती है।

पश्चिम का पुर्नजागरण में एक प्रमुख अवयव साहित्य भी रहा। साहित्य के माध्यम से ही विचार परिदृश्य को एक जगह से दूसरे जगह देखा और समझा गया तथा उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क वितर्क द्वारा उचित-अनुचित को मानकर समाज के नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ।

इसी पुर्नजागरण के साहित्य अवयव ने विश्व में अनेक देशों में ज्ञान के साथ-साथ नैतिक और सामाजिक परिवर्तन में एक प्रमुख अवयव का कार्य किया।

साहित्य का योगदान सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से ना होकर सामाजिक, राजनीतिक योगदान तक भी है। कार्ल मार्क्स की रचना हो या अरस्तु की रचना या फिर चाणक्य की

रचना सभी ने समाज में परिवर्तन को एक दिशा-निर्देश दिया है।

“साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है परंतु एक नया वातावरण देना भी है।”

अज्ञात

वेद, उपनिषद, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों ने धार्मिक विचारों का प्रदर्शन किया है इन ग्रंथों में धार्मिक मूल्यों का उल्लेख है।

साहित्य का कार्य ज्ञान के साथ-साथ उच्चतम विचारों और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण से संबंधित रहा है जिसमें सांस्कृतिक विरासत का चित्रण मिलता है। प्राचीन इतिहास में अनेकों शासकों जैसे अकबर, शाहजहाँ, कृष्णदेव राय इत्यादि ने भी साहित्य को संरक्षण और बढ़ावा दिया था।

वर्तमान समय में भी साहित्य का प्रासंगिकता कायम है विक्रम चंद्रा, शशि थरूर, चेतन भगत जैसे रचनाकारों के साहित्य कृतियों ने समाज में अपना प्रयास छोड़ा है।

कुमार विश्वास जैसे कवियों ने साहित्य के पथ भाग को और अधिक रुचिकर बनाया है।

साहित्य एक ज्ञान का जरिया ना होकर दर्शन और विचार का स्रोत है जो बुद्धि, नैतिकता और सुखी जीवन जीने की कला भी सिखाता है।



गुड्डू कुमार

एम.टी.एस., उपनिदेशक (उद्यान) का
कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।

मधुबनी चित्रकला



भारती कुमारी

धर्मपत्नी- श्री रंजीत कुं ठाकुर,
उ०श्रे०लि०, मुख्य अभि. (पटना) का
कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।

“वर्तमान समय में विज्ञान के मूल कार्य अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए आज अंग्रेजी आवश्यक है, किन्तु मुझे विश्वास है कि अगले दो दशकों में विज्ञान के मूल कार्य हमारी भाषाओं में शुरू हो जाएंगे तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे।”



**डा० ऐ०पी०जे० अब्दुल
कलाम, पूर्व राष्ट्रपति**

पाटलिपुत्रा

मगध का स्वर्णिम स्वरूप

पटना नगरी है। अद्भूत,
जहाँ शब्दों की बहती सरिता
कवि, लेखन और विचारको की सजता है,
अनमोल महफिल यहाँ यदा
गंगा के तट पर बसी यह भूमि
कहानी कहती हर गली-चौराहों की,
भिखारी ठाकुर की लेखनी का जादू
अब भी गुजंता हर दिल कि धड़कन में।
रेणु का मैला आंचल,
जोश भरता है हर रंग-रंग में,
दिनकर का साहित्य, विद्यापति कि मिठास,
इससे मिलता पटना को अनोखी पहचान।
पटन देवी कि भव्यता,
गाँधी सेतु की छवि,
संस्कृति और साहित्य का संगम,
बनाता है इसे बिहार का गौरव,
पुस्तक मेलों की रौनक,
और चौपाटी पर चर्चा की महक,
हर शब्द, हर विचार,
जुड़ता है। इस शहर की आत्मा से।
पाटलिपुत्रा की धरती, मगध का स्वर्णिम स्वरूप,
जो जलता है अधरे में भी,
तेरी गाथा, तेरी महिमा,
बना रहे हमारे बिहार का गौरव।



आशा

लिपटा हो तिरंगा तन पे मेरे,
ऐसी मृत्यु को प्राप्त करूँ।
चिर निद्रा जाने ने पहने,
रक्त का श्रृंगार करूँ।
काँप उठे भूमि शत्रु की,
ऐसा मैं प्रहार करूँ।
भारत भूमि में अंतिम साँस लूँ मैं,
ऐसा सौभाग्य प्राप्त करूँ।
दूर्गा काली हृदय में मेरे,
विजय प्रश्न नहीं निश्चित है।
ध्वजा में हनुमत, कर में कृपाण,
भय का अस्तित्व अदृश्य है।
मृत्यु निकट आने से पहले,
वीरों से अनुमति लेती है।
जो अमर है निर्णायक है,
चरणों में उसके जीवन समर्पित है।



राहुल श्रीवास्तव,
उ.श्रे.लि., कार्य. अभि. (वि.) का
कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।



अभिजीत वर्द्धन ,
वास्तुक के.लो.नि.वि., पटना।



ई.आर.पी. का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में महत्व

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग , आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख केंद्रीय सरकारी प्राधिकरण है , जो इमारतों, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, स्टेडियमों, सभागारों, प्रयोगशालाओं, बंकरों, सीमा बाड़ लगाने और सीमा सड़कों जैसी संरचनाओं जैसी जटिल परियोजनाओं से निपटता है। 1854 में स्थापित CPWD एक व्यापक निर्माण प्रबंधन विभाग के रूप में विकसित हुआ है। संगठन पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्पादकता लाने के लिए अपने कार्यों में एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉफ्टवेयर को लागू किया गया है ।

संशोधित संगठनात्मक संरचना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीपीडब्ल्यूडी के कामकाज में काफी सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी को लागू करने का फैसला किया है ताकि इसके कामकाज में आमूलचूल परिवर्तन हो और बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही, तेज और प्रभावी निर्णय

लेने, बेहतर ग्राहक इंटरफेस और संतुष्टि के जरिए इसे उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ाया जा सके और इसकी अव्यक्त उत्पादकता और दक्षता को उजागर किया जा सके।

नया संक्षिप्त परिणाम केंद्रित सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल पहले ही लाया जा चुका है और विभाग का पुनर्गठन भी लागू किया गया है। संशोधित संगठनात्मक संरचना ने मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करके संगठन की दक्षता, प्रभावशीलता, गुणवत्ता, बेहतर ग्राहक सेवाएं, जवाबदेही और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ाया है। संशोधित संरचना के कार्यान्वयन के साथ, ग्राहकों की लगातार बढ़ती कार्यभार और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की कार्यात्मक आवश्यकताएं सामंजस्यपूर्ण हो गई हैं।

विलंबन के माध्यम से, जूनियर इंजीनियर से महानिदेशक तक पहले के सात स्तर की कार्यप्रणाली, जो निर्णय लेने की गति को धीमा करती थी और वितरित जवाबदेही के कारण देरी होती थी और गुणवत्ता प्रभावित होती थी, को घटाकर चार स्तर कर दिया गया है, जिससे निर्णय लेने की गति तेज हो गई है, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है, प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही और स्वामित्व की भावना बढ़ गई है। कार्यप्रणाली की संशोधित प्रणाली में एसडीजी और एडीजी, एसई और सीई, जेई और एई के बीच कोई अंतर-रिपोर्टिंग नहीं है। परियोजना क्षेत्रों और फील्ड क्षेत्रों का नेतृत्व करने वाले एसडीजी और एडीजी सीधे सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक के प्रति जवाबदेह हो गए हैं। ये वरिष्ठ स्तर के पद अब पूरी तरह सक्रिय और कार्यात्मक हो गए हैं। एसडीजी/एडीजी के तहत अधिकार प्राप्त

परियोजना इकाइयों के माध्यम से प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बनाए गए अलग वर्टिकल के साथ, अब एसडीजी/एडीजी द्वारा गुणवत्ता और अर्थव्यवस्था के साथ परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन पर केंद्रित और विशेष ध्यान दिया जा रहा है विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सिविल स्ट्रीम की एकीकृत कमान को एसई स्तर पर लाने से कामकाज अधिक सुसंगत और एकसूत्रीय हो गया है। ग्राहकों को अब एसई स्तर पर एकल खिड़की सेवा मिल रही है।



विभाग एक ही ढांचे के रूप में काम कर रहा है और अंतर-कैंडर मतभेद समाप्त हो गए हैं। पुनर्गठन व्यवस्था में वास्तुकला और बागवानी संवर्गों को मुख्य धारा निष्पादन व्यवस्था के साथ जोड़ने से ये संवर्ग अधिक प्रभावी, उत्पादक और वितरण उन्मुख हो गए हैं। अप्रभावी नियोजन पदों का उपयोग कार्यों के प्रत्यक्ष निष्पादन के लिए किया गया है। इससे विभाग का टर्नओवर बढ़ेगा और एकल फाइल प्रणाली में विभाग का कामकाज भी सुनिश्चित होगा। मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए कार्य केंद्रों की पहचान की गई, इन कार्य केंद्रों को पद आवंटित किए गए और इन कार्य केंद्रों पर महानगरों से लोगों को स्थानांतरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों का तेजी से

उत्पादन हुआ और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी। क्षेत्रीय मुख्यालयों में बनाए गए क्षेत्रीय डिजाइन केंद्र एक ही स्थान पर स्थानीय स्तर पर क्षेत्र की डिजाइन आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। इससे कार्यों के निष्पादन में होने वाली देरी कम होगी।

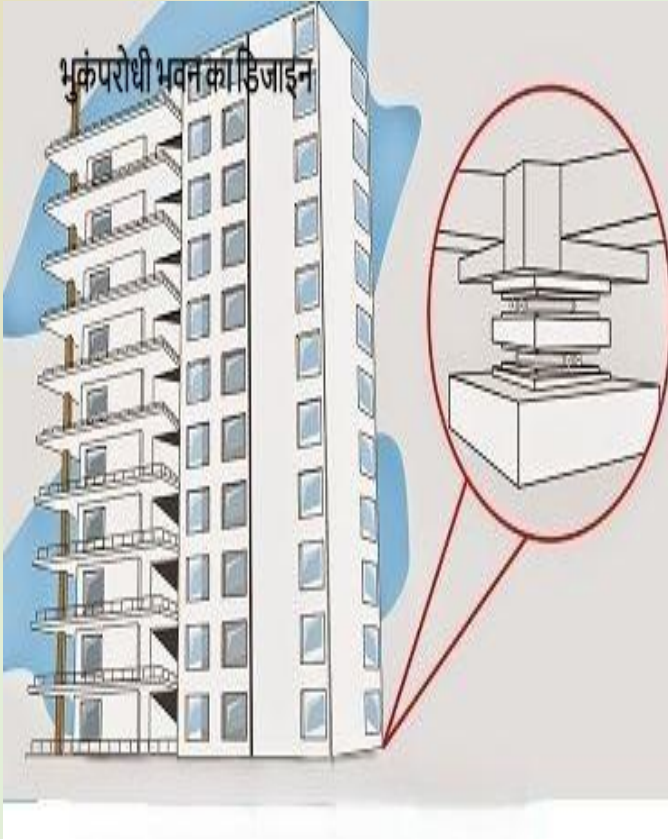
देश भर में स्थित सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत और उन्नत किया गया है, जिससे विभाग की प्रशिक्षण गतिविधियों के बेहतर प्रदर्शन में मदद मिली है। मुख्यालय में सेटअप को मजबूत करने, नीतियों और दिशानिर्देशों के निर्माण और विभाग की वृद्धि और विकास के लिए अन्य मुख्यालय गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। विभाग के किसी भी कैंडर की ताकत में कमी किए बिना और विभाग के संपूर्ण भौगोलिक विस्तार और कार्य आवश्यकताओं को पूरा करके पुनर्गठन को लागू किया गया है।

आशा है कि हम सभी इसे स्वीकार कर एक नए और उन्नत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की रचना कर सकेंगे।



अर्चना सिन्हा,

आशुलिपिक कार्य. अभि. (पटना-1) का कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।



भूकंपरोधी भवन

भूकंपरोधी भवन निर्माण में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए:

1. **स्थलकाचयन :** भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करें जो भूकंप के प्रति कम संवेदनशील हो। भूगर्भीय अध्ययन कराना आवश्यक है। भूकंप रोधीभवन के निर्माण में स्थल का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

I. **भौगोलिकस्थिति:** स्थल की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें। ऐसे क्षेत्रों से बचें जहाँ भूकंप की गतिविधि अधिक होती है।

II. **भूमिकीसंरचना:** भूमि की संरचना और प्रकार का विश्लेषण करें। मजबूत और स्थिर मिट्टी का चयन करें, जैसे कि चट्टानी या बलुआई मिट्टी।

III. **जलस्तर:** स्थल के जल स्तर की जानकारी प्राप्त करें। उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में निर्माण से बचें, क्योंकि यह भूकंप के दौरान अस्थिरता पैदा कर सकता है।

IV. **पड़ोसीसंरचनाएँ:** आस पास की संरचनाओं का अध्ययन करें। यदि आस-पास में भारी या अस्थिर भवन हैं, तो यह आपके भवन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

V. **स्थानीय नियम और विनियम:** स्थानीय निर्माण नियमों और भूकंप सुरक्षा मानकों का पालन करें। यह सुनिश्चित करेगा कि भवन भूकंप के प्रति सुरक्षित हो।

VI. **जलवायु और पर्यावरणीय कारक:** स्थल के जलवायु और पर्यावरणीय कारकों का भी ध्यान रखें, जैसे कि भूस्खलन या बाढ़ की संभावना।

इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए, भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा।

भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए ऐसे स्थलों का चयन करना आवश्यक है जो भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित हों, जैसे कि भूकंप के इतिहास वाले क्षेत्रों से दूर। इसके अलावा, स्थल की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि मजबूत और स्थिरमिट्टी पर भवन का निर्माण करना अधिक सुरक्षित होता है। स्थल की ऊँचाई, जलवायु और आस-पास के भवनों की स्थिति भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे स्थलों से बचें जहाँ भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो। अंत में, स्थानीय निर्माण नियमों और भूकंप रोधी मानकों का पालन करना सुनिश्चित करें, ताकि भवन की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाया जा सके।

2. **सामग्री का चयन:** मजबूत और हल्की सामग्री का उपयोग करें, जैसे कि स्टील, कंक्रीट और फाइबर।

भूकंप रोधी भवन निर्माण में सामग्री का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस के लिए निम्नलिखित प्रकार की सामग्री का चयन किया जाना चाहिए:

I. **कंक्रीट:** उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट का उपयोग करें, जिसमें उचित मात्रा में सीमेंट, रेत और ग्रेवल हो। यह भूकंप के झटकों को सहन करने में मदद करता है।

II. **स्टील:** स्टील की बीम और कॉलम का उपयोग करें, क्योंकि यह लचीलापन प्रदान करता है और भूकंप के दौरान भवन को स्थिर रखता है।

III. **मिट्टी और ईंट:** मिट्टी और ईंट की दीवारों का उपयोग करते समय, सुनिश्चित करें कि वे भूकंप रोधी तकनीकों के अनुसार निर्मित हों।

IV. **फाइबर-रेइन्फोर्स्ड पॉलिमर (FRP):** यह हल्का और मजबूत होता है, और इसे संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. **विभिन्न प्रकार के इन्सुलेटिंग सामग्री:** जैसे कि फोम और रबर, जो झटकों को अवशोषित करने में मदद करते हैं।

VI. **भूकंप रोधी तकनीक:** जैसे कि बेस आइसोलेशन और डैम्पिंग सिस्टम, जो भवन को भूकंप के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं।

3. **डिजाइन:** भवन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वह भूकंप के झटकों को सहन कर सके। त्रिकोणीय और आयताकार संरचनाएं अधिक स्थिर होती हैं।

भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए डिजाइन में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए :

I. **स्ट्रक्चरल इंटिग्रीटी:** भवन की संरचना को मजबूत और स्थिर बनाना आवश्यक है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि स्टील और कंक्रीट।

II. **सामान्य आकार और रूप:** भवन का आकार और रूप सरल होना चाहिए। जटिल आकृतियाँ भूकंप के दौरान अधिक तनाव उत्पन्न कर सकती हैं।

III. **कम वजन:** भवन का वजन कम रखने के लिए हल्के सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इस से भूकंप के दौरान भवन पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है।

IV. **फ्लेक्सिबिलिटी:** भवन को लचीला होना चाहिए ताकि वह भूकंप के झटकों को सहन कर सके। इसके लिए विशेष डिजाइन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

V. **बेस आइसोलेशन:** भवन की नींव में बेस आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिस से भूकंप के झटके भवन तक नहीं पहुँच पाते।

VI. **सुरक्षित एग्जिट:** भवन में सुरक्षित निकासी के रास्ते होने चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग आसानी से बाहर निकल सकें।

VII. **स्थानीय भौगोलिक स्थिति का ध्यान:** भवन का डिजाइन स्थानीय भौगोलिक और भूकंपीय स्थितियों के अनुसार होना चाहिए।

4. **फाउंडेशन:** भूकंप रोधी भवन के निर्माण में फाउंडेशन का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत और स्थिर फाउंडेशन भूकंप के दौरान भवन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। निम्नलिखित प्रकार के फाउंडेशन भूकंपरोधी भवन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं:

I. **गहरी नींव (Deep Foundation):** गहरी नींव, जैसे कि पाइल फाउंडेशन, भूकंप के दौरान भवन के भार को स्थिरता प्रदान करती है। यह मिट्टी की गहराई में जाकर अधिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।

II. **स्ट्रिप फाउंडेशन (Strip Foundation):** यह फाउंडेशन दीवारों के नीचे लंबीपट्टी के रूप में बनाई जाती है, जो भूकंप के दौरान भवन के भार को समान रूप से वितरित करती है।

III. **मैटफाउंडेशन (Mat Foundation):** यह एक विस्तृत फाउंडेशन है जो पूरे भवन के नीचे फैली होती है। यह भूकंप के प्रभाव को कम करने में मदद करती है।

IV. **बेस आइसोलेटर (Base Isolator):** यह एक विशेष तकनीक है जो भवन को भूकंप के झटकों से अलग करती है, जिस से भवन की संरचना पर कम दबाव पड़ता है।

V. **कंक्रीट और स्टील का मिश्रण:** फाउंडेशन में कंक्रीट और स्टील का उपयोग करना, भूकंप के दौरान अधिक लचीलापन और ताकत प्रदान करता है।

इन फाउंडेशनों का सही चयन और निर्माण विधि भूकंपरोधी भवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

5. **भवन की ऊँचाई:** ऊँचे भवनों का निर्माण करते समय विशेष ध्यान दें, क्योंकि वे भूकंप के दौरान अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

6. **विभाजन दीवारें:** विभाजन दीवारों को सही तरीके से डिजाइन करें ताकि वे भवन की संरचना को कमजोर न करें।

7. **सुरक्षा उपाय:** भवन में भूकंप सुरक्षा उपकरण जैसे कि बेस आइसोलेटर और डैम्पर्स का उपयोग करें।

8. **निर्माण मानक:** स्थानीय और राष्ट्रीय निर्माण मानकों का पालन करें, जो भूकंप रोधी निर्माण के लिए निर्धारित हैं।

9. **नियमित निरीक्षण:** निर्माण के दौरान और बाद में नियमित निरीक्षण करें ताकि किसी भी प्रकार की कमी को समय पर ठीक किया जा सके।

10. **प्रशिक्षण:** निर्माण कार्य में लगे सभी श्रमिकों और इंजीनियरों को भूकंपरोधी तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करें।

इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए भूकंपरोधी भवन का निर्माण किया जा सकता है, जिससे जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



गिरीश कुमार सिंह,
आशुलिपिक, मुख्य अभियंता
(पटना) का कार्यालय,
केलोनिवि, पटना।

हिन्दी और संस्कृत साहित्य

आज हिन्दी हमारी राजभाषा है परंतु इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य ही हिन्दी एवं कई अन्य भाषाओं के साहित्यों की जननी है।

संस्कृत साहित्य ज्ञान का भंडार है। वास्तव में इनसे समृद्ध अन्य कोई साहित्य नहीं। अगर हम भारतीय संस्कृति, इतिहास, धार्मिकता, अध्यात्मिक दर्शन, समाज, राजनीतिक जीवन को पूरा जानना चाहें तो संस्कृत साहित्य से बेहतर साक्ष्य और कुछ नहीं। हमारे सभी वेद, वेदांत, उपवेद के अतिरिक्त दर्शन आदि भी संस्कृत साहित्य के अंतर्गत है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, रामायण (वाल्मीकि), महाभारत जैसे ग्रंथ संस्कृत साहित्य का धन है। हिन्दी साहित्य की परंपरा लगभग एक हजार वर्ष पुरानी है। चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराजरासो, कबीर दास जी की सबद, रमैनी, साखी, सूरदास का सूर सागर, मोहम्मद या पद्मावती हिन्दी साहित्यकारों की प्रमुख रचनाएं हैं।

यह कहना सर्वदा उचित है कि संस्कृत भाषा हिन्दी भाषा की नीब है परंतु हिन्दी भाषा जनसमुदाय, भाव एकता को जोड़ने बीच की कड़ी बनकर उभरी है। हिन्दी साहित्य विश्व के अन्य साहित्य के मुकाबले समृद्ध और विशाल है। यह भारत को साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान देती है।



ब्रजेश कु० श्रीवास्तव,
उ०श्रे०लि०, कार्यपालक
अभियंता(दीघा परियोजना),
केलोनिवि, पटना।

वर्ष 2024-25 के कुछ स्मरणीय यादगार





कम्प्यूटर: आज की आवश्यकता

आज का युग विज्ञान का युग है। कम्प्यूटर मनुष्य के इन्हीं खोजों में से एक है जिसमें मानव जीवन की लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। विज्ञान और तकनीक की अद्भुत खोजों ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांति ला दी है।

आज के युग को यदि हम कम्प्यूटर का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर ने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्रों में कम्प्यूटर अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। आप हर छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे- मोबाइल को रिचार्ज करना या बिजली का बिल भरना। आज कम्प्यूटर रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं में से एक बन चुका है।

कम्प्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है, जिसमें अनेक प्रकार के गणित के सूत्रों एवं तथ्यों का संचालन कार्यक्रम पहले से ही संपादित करना होता है। कम्प्यूटर बेहद ही कम समय में गणना करके तथ्यों को अपने स्क्रीन पर दिखा देता है।

कार्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से कार्य करना अत्यंत सहज एवं सरल हो गया है। अब कार्यालय सम्बंधी सभी कार्य आंकड़े एवं तथ्यों को फाईल में सुरक्षित रखा जाता है। जिससे समय की काफी बचत होती है। अनेक कार्य जिनमें कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी अब वही कार्य एक कम्प्यूटर के माध्यम से बहुत कम समय में ही समाप्त हो जाता है।

यही कारण है कि अब प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर का उपयोग अनिवार्य हो गया है। सभी

व्यापारिक सूचनाएँ इसमें दर्ज होती है जिससे व्यापार करना सरल हो गया है।

कम्प्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। ई-मेल के माध्यम से हजारों मील बैठे अपने सम्बंधी अथवा मित्रों से लोग कम ही खर्च में तथा समय से अपने संदेश भेज सकते हैं तथा ग्रहण कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य हर प्रकार की जानकारी का आदान-प्रदान विश्व के किसी भी कोने से करने में सक्षम है। वास्तविक रूप से इंटरनेट का विस्तार असीमित है।

यातायात के क्षेत्र में भी कम्प्यूटर की विशेष उपयोगिता है। हवाई मार्गों का निर्धारण व नियंत्रण आदि कम्प्यूटर की ही देन है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष, अनुसंधान मौसम सम्बंधी जानकारी, मुद्रण आदि में कम्प्यूटर का विशेष योगदान है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में कम्प्यूटर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के इस अद्भुत उपहार को नकारना संभव नहीं है।

परिणाम स्वरूप यह हजारों मध्यमवर्गीय लोगों की आवश्यकता बन गया है। हमारे देश में जहां बेरोजगारी व आर्थिक संकट के घने वादल हैं, ऐसे वातावरण में निःसंदेह कम्प्यूटर का विस्तार समय लेगा। परंतु जिस प्रकार इसकी आवश्यकता बढ़ रही है इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत शीघ्र ही दूरदर्शन की भांति सभी घरों में अपनी जगह बना लेगा। हमारा कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता है। अतः आज हम निःसंदेह कह सकते हैं कि “कम्प्यूटर” आज की आवश्यकता बन चुकी है इसके बगैर हमारा कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो सकता है।



विनोद कुमार

सहा० प्रशा० अधिकारी,
केलोनिवि, पटना।



झरनों का बहता पानी झर-झर कहता कुछ कहानी
ऊँचे पहाड़ों से गिरी चट्टानों पर बिखर गए मोती सी
फिर संभल कर चल पड़ी अपनी नई कहानी कहने को
जब नदियाँ बन पहाड़ों से पठार में उतरी खूब हलचल मचाई
गिरता-संभालता चलता खेतों तक पहुँच आयी
वहाँ नन्हे पौधे-झाड़ियों देख खूब की मनमानी
ऐसी की मनमानी कि भूल गई अपनी राह में लौटने को
साथ बहती छोटी-छोटी क्यारियों को देख लौट आयी अपनी नवजीवन में
कभी तूफानों से टकराकर शर्मायी, तो कभी ऊँची पठार को देख घबराई
पर रुकना कहा था, आखिर हो जाना था अस्तित्वहीन
कुछ लहरे प्यासी भूमि में समायी तो कुछ ने सागरों में ली जलसमाधि
आखिर झरनों का बहता पानी झर-झर कहता कुछ कहानी।



राजीव रंजन

एम.टी.एस, उपनिदेशक(उद्यान)
का कार्यालय, के.लो.नि.वि., पटना।



भारत की समेकित संस्कृति

भारत जो 140 करोड़ लोगों का निवास स्थान है जहाँ भिन्न-भिन्न जाति, धर्म, रंग-विचार के लोग निवास करते हैं। जिनकी संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। भारत अपने अंदर विविधताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है, यहाँ की संस्कृति अतुल्य और समेकित संस्कृति है।

वस्तुतः अनेक विचारों और विश्वासों का मिश्रण ही संस्कृति है। यह किसी भी राष्ट्र की धरोहर और गौरव होता है। संस्कृति उस राष्ट्र के अतीत का पहचान और भविष्य का मार्गदर्शक होता है।

भारतवर्ष की संस्कृति भी हमारे देश की पहचान और गौरव है, यहाँ हर प्रकार की सांस्कृतिक विविधता मौजूद है।

यहाँ के अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद हैं। संस्कृतियों का सामान्य अर्थ अमूर्त वस्तुओं से हैं जैसे भाषा, रहन-सहन, चित्रकारी कला इत्यादि।

भारत में जहाँ अपने प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत, कन्नड़ इत्यादि को प्रचलन में रखते हुए हैं, वैसे ही आधुनिक भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा को भी उतना ही महत्व प्रदान करता है। एक कथन जो बहुत प्रसिद्ध है भारत के बारे में।

“एक कोस पर बदले पानी चार कोस पर वाणी।”

भारत के लोगों में पहनावा, रहन-सहन की संस्कृति में भी विविधता मौजूद है जहाँ एक ओर गाँवों में आज भी पौराणिक वस्तु का उपयोग जैसे धोती, कुर्ता, गमछा, साड़ी का उपयोग होता है वहीं शहरों का जींस, सूट, टी-सर्ट जो पश्चिमी संस्कृतियों से अपनाया हुआ है।

भारत विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सबसे अधिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हर क्षेत्र में अलग-अलग धर्मों के लोगों को रहने की स्वतंत्रता संविधान से प्राप्त है जिनकी आस्था तथा आस्था को मानने वाले संस्कृतियाँ रीति-रिवाज अलग होते हुए भी एक हैं। एक एक समेकित संस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ हिंदुओं में मूर्ति पूजा की संस्कृति है, वहीं मुसलमानों में अलग, तो अदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं इत्यादि।

भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण सर्वभौमिकता के आधार पर है अर्थात् भौगोलिक और राजनीतिक से परे है। भारतीय वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को मानते हैं अर्थात् पृथ्वी ही एक परिवार है।

भारत में अनेक धर्मों का उदय हुआ जैसे हिंदु, बौद्ध, जैन तथा अनेक धर्मों को अपने अंदर समाहित किया, लेकिन फिर भी सहअस्तित्व को दर्शाता है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25-28 भी इसका संरक्षण करता है।

भारत की संस्कृति समेकित ही नहीं भौतिक और अध्यात्मिक तत्वों में संतुलित भी है, जहाँ इसरो अपने सेटेलाइट छोड़ने के पहले पूजा भी करता है। वहीं सरकार अपनी राष्ट्रीय निर्मित हथियारों का ईश्वरीय नाम जैसे अग्नि, ब्रह्मोस भी रखता है।

भारतीय संस्कृति में जहाँ एक ओर प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सर्वभौमिकता, विविधता और एकता निरंतरता के गुण मौजूद हैं तथा जिसका संरक्षण संविधान द्वारा किया गया है। वहीं भारतीय संस्कृति के समक्ष वर्ग-भेद, उग्रराष्ट्रवाद, संप्रदायतंत्रवाद, क्षेत्रवाद जैसे चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।

दिलेश कुमार, उ.श्रे.लि

कार्यालय कार्यापालक अभियंता, पटना-2



दिलेश कुमार,

उ.श्रे.लि., कार्य०अभि०(पटना-2) का
कार्यालय।

वास्तु

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, पटना कार्यालयों के कर्मियों के बच्चों एवं परिवार सदस्यों द्वारा बनाया गया अद्भुत चित्र एक अनोखी कला का उदाहरण है। यह चित्र न केवल उनकी रचनात्मकता को दर्शाता है, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करता है। यह चित्र सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाता है कि कला के माध्यम से हम अपने विचारों को कितनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं।



सिद्धी कुमारी

सुपुत्री श्री दयानंद कुमार , आशुलिपिक.,
कार्य०अभि०(वै०) का कार्यालय।



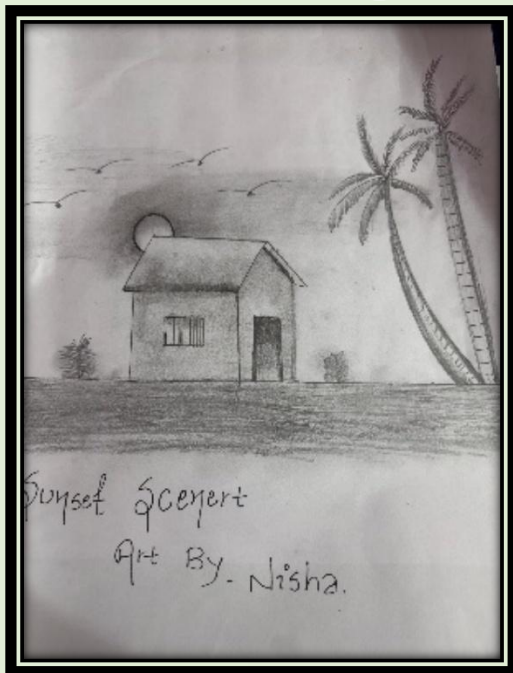
वंशिका राज

सुपुत्री श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्वत , उ.श्रे.लि.,
कार्य०अभि०(दीघा परियोजना) का कार्यालय।



आरती कुमारी,

C/o गणेश कुमार, बहु क.कर्मचारी सहायक
निदेशक (उद्यान) का कार्यालय।



निशा कुमारी

बहन नीतीश कुमार, अ०श्री०लि०
कार्य०अभि०(पटना-1) का कार्यालय।



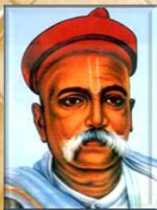
अर्चित सिंह

सुपुत्र श्री गिरीश कु. सिंह,
आशुलिपिक, मुख्य अभियंता
(पटना) का कार्यालय, केलोनिवि,
पटना।



"राष्ट्रभाषा के बिना एक राष्ट्र गूंगा है।"

-महात्मा गांधी।



"मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका
विचार है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो
सकती है।"

-बाल गंगा धर तिलक।

आत्मसम्मान

हाँ...अब मैं बदलने लगी हूँ।
अब खुद के लिए भी
थोड़ा समय रखती हूँ।
मांगा नहीं कुछ तुमसे क्योंकि
अब कोई चाहत नहीं रखती तुमसे।
आदतों को बदला, चाहतों को बदला।
अब अपने सपनों के लिए
अपनी करवटों को बदला।
धूल का एक कण भी
नहीं मैं तुम्हारे जीवन में।
समंदर की एक बूँद सा भी
अस्तित्व नहीं अब मेरे दिल में।
बदला था, खुद को बड़े अरमान से,
कि सारे रिश्ते निभा पाऊँ जी जान से,
लेकिन कुछ भी न हाथ आया सिवाय अपमान के
अब ना रोक पाएंगी मुझे कोई बंदिशें
अब खुद के अस्तित्व की पहचान
बनाने की ठान ली है,
मैंने अपने आत्मसम्मान की खातिर।
हाँ! अब मैं बदलने लगी हूँ।



अर्चना सिन्हा, आशुलिपिक
कार्य. अभि. (पटना-1) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 – राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
- (ii) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
- (iii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है।
- (ii) 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्:-
- (iii) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

- (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
 - (v) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
 - (vi) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (vii) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
 - (viii) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;
 - (ix) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (x) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (xi) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
- (ii) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-
- (क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यता हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे;
- (ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

- (iii) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
- (iv) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।
4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि:-
- (i) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधिनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे

संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

(iii) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(iv) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

(V) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि-

i- क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरा भाषा में

अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii- क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु या और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर:-

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग:-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेजों हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि:-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता ही।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या

उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।
8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना:-
 1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
 2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
 3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
 4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों

को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

- a) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- b) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- c) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1. a) यदि किसी कर्मचारी ने-
 - i- मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
 - ii - केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस

- योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली; या
- iii- केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- b- यदि वह इन नियमों से उपाब्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यता यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालयों में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों

का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. **मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-**
1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।
12. **अनुपालन का उत्तरदायित्व-**

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-
 - i.- यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और
 - ii.- इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।
2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।



रीतेश कुमार श्रीवास्तव,
सहा-प्रशासक अधिकारी, मुख्य
अभि. (पटना) का कार्या.,
के.लो.नि.वि., पटना।



अवियांश कुमार चौधरी, चाचा श्री
अभिषेक कु. चौधरी आशुलिपिक, मुख्य
अभि. (पटना) का कार्यालय, पटना।



अद्विक मनन पुत्र श्री
अभिषेक कु. चौधरी आशुलिपिक,
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय, पटना।

सर्दियां हुई छोटी

नवंबर आया, ठंड न आई,
सबने सोचा - "क्या हुई बुराई?"
दिसंबर बोला - "बस मैं आया,"
पर गरम हवाओं ने खेल बिगाड़ा!

जनवरी पहले थी मज़ेदार,
अब तो लगती बेकार!
मफलर, स्वेटर, कंबल सब दुखी,
"अभी तो आए थे, जाने की जल्दी क्यों लगी?"

फरवरी बोली - "अब मुझसे क्या उम्मीद?
पहले ही छोटी थी मेरी तकदीर!
महीना खत्म होते ना होते,
गर्मी ले आए अपनी तकरीर!"

रजाई बोली - "अब तो हाल बुरा,
पहले थी रानी, अब कोने में पड़ा!
कभी मुझमें दुबककर तुम सोते थे,
अब धूप में भी मुझे ढोते हो!"

गर्मी हंसकर बोली - "तैयार रहो,
अब सर्दी की छुट्टी जल्दी करो!"

मोरल - सर्दी छोटी हो गई है, अब गर्मी से लड़ने की तैयारी कर लो!



श्रेया सुनिधि

सुपुत्री रवीन्द्र कु० चौधरी, मुख्य
अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।

मधुबनी चित्रकला



परिचय-

मधुबनी कला भारत के समृद्ध परंपरा के इतिहास को दर्शाती अनन्य कलाओं में से एक है। यह एक ऐसी लोक कला है जो कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने 2500 सालों से जीवित रखा है। यह कला मूलरूप से बिहार के मिथिला प्रदेश में प्रचलित है और इसी कारण इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है।

विशेषताएँ-

मधुबनी कला अपने चमकीले प्राकृतिक रंगों के लिए जानी जाती है जो कि प्राकृतिक रूप से पौधों एवं खनिजों से प्राप्त होती है। जटिल ज्यामितीय पैटर्न, बड़ी अभिव्यंजक आँखें तथा दोहरी रेखाओं वाली आकृतियाँ इसे अन्य चित्रकलाओं से अलग पहचान देती है। इन चित्रकला में लोगों एवं उनके प्रकृति के साथ जुड़ाव एवं हिन्दू धर्म से संबंधित प्राचीन महाकाव्यों के दृश्य एवं परंपराओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, तुलसी के पौधे, पीपल का वृक्ष प्राकृतिक एवं धार्मिक वस्तुओं के साथ-साथ देवी-देवताओं, शादियों, शाही दरबार जैसे दृश्यों को व्यापक रूप से चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है।

शैली-

इसे अलग-अलग अवसर के अनुसार 5 शैलियों में अभ्यास किया जाता है जो कि ये हैं – कचनी, भरनी,

गोदना, कोहवर एवं तांत्रिक

ऐतिहासिक संदर्भ-

मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं की गहराई से निहित है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सीता का विवाह राजकुमार राम से हुआ था तो उस अवसर पर राजा जनक सीताजी के पिताक्षी ने अपने राज्य की महिलाओं को सभी घरों को चित्रित करने का काम सौंपा था, जो कि इस कला की शुरूआत माना जाता है।

यह भी कहा जाता है कि मौर्यकाल एवं गुप्तकाल में जिनकी राजधानी मिथिला के नजदीक थी के दौरान इस कला के लिए भी स्वर्णयुग था पर इसका कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं है क्योंकि इसको प्राचीन काल में दीवारों एवं फर्श पे प्राकृतिक रंगों से किया जाता था जिसको लम्बे समय तक नहीं बचाया जा सकता था।

दुनिया से पहला परिचय-

यह कला मुख्य रूप से मिथिलांचल प्रदेश तक ही सीमित थी जब तक कि 1934 ईसवी में एक ब्रिटिश अधिकारी “डब्ल्यू. सी. आर्चर” का एक भूकम्प के निरीक्षण हेतु इस प्रदेश में आना हुआ था। जब उन्होंने भूकम्प से गिरी दीवारों पर उकेरी गई चित्रों को देखा तो “कला पत्रिका” के माध्यम से इसके बारे में बाकी दुनिया को बताने से खुदको रोक नहीं पाये और इस तरह शताब्दी से मिथिलांचल में रह रही इस कला को दुनिया से पहला परिचय हुआ।

विस्तार-

यद्यपि दुनिया ने इस कला को पहचाना तो था पर इसके एवं इस कला से जुड़े कलाकारों के दिन तब बदले जब 1960 के दशक में एक गंभीर सूखे के दौरान “अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड” ने स्थानीय महिलाओं को व्यवसायिक बिक्री के लिए कागज, कपड़ा और कैनवास पर पेंटिंग बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। जिससे आय के स्रोत उपलब्ध हुआ ही था साथ इस कला का विस्तार भी हुआ। इसके बाद मधुबनी कला एवं इसके कलाकारी ने प्रसिद्धि के नये पैमाने बनाये।

निष्कर्ष- मधुबनी पेंटिंग एक गतिशील कला रूप है जो परंपरा एवं आधुनिकता को जोड़ती है जो कि मिथिला प्रदेश के किसी घर के मिट्टी की दीवार से निकलकर विश्व के प्रतिष्ठित देशों के संग्रहालयों तक का सफर किया है। यह एस ऐसी विशुद्ध कला है जिसे किताबों, शिलालेखों ने नहीं बल्कि उनके कलाकारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसार किया है। यह हमारे देश के हिन्दू धर्म के पौराणिक कथाओं को, स्थानीय लोककथाओं का, हमारे रीति रिवाजों को 2500 सालों से अग्रेषित करती रही है।



सोनी कुमारी,

सहायक अभियंता (वै.)
मुख्य अभियंता-पटना का
कार्यालय , केलोनिवि,
पटना।

हिंदी भाषा का सम्मान

हर रग-रग में बहे हिन्दी,
हर काम हर उदय ऐसा,
की भारत की आवाज बनके
हर जग में रहे हिन्दी
पत्रिकाओं को जीवित करती,
कविताओं को स्वरित करती,
हर शब्दों में है, हिन्दी की शान,
के.लो.नि.वि का यह अभिमान,
हिन्दी भाषा का करो सम्मान,
के.लो.नि.वि में, विकास का प्रतीक और
प्रगति का श्रोत है, हिन्दी
अरुणाचल से गुजरात तक,
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक,
एकता कि अखंड ज्योति है , हिन्दी
हिन्दी से पहचान हमारी
और हिन्दी से हममें है, हिन्दोस्तान
के.लो.नि.वि है यह अभियान
हिन्दी भाषा का करो सम्मान।
के.लो.नि.वि., में हम हिन्दी को देते बढ़ावा,
उसे देते पहला दर्जा, हम देश की ऊर्जा है।
हिन्दी हमारी ऊर्जा, दुनिया हम सब से परिचित है।
हम सब के.लो.नि.वि. से है हिन्दी हमारी पहचान,
हिन्दी भाषा का करो सम्मान॥



दीपलता कुमारी,

अर्धांगिनी श्री अभिषेक कुं चौधरी, आशुलिपिक
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।

मंजिल

सिरफिरा हूँ, तेरे बिना, सचमुच सिरफिरा हूँ मैं,
कोई जिसे न जाने – एक ऐसा मशविरा हूँ।
कोई किसी से आखिर क्यू न बोलता
जो उलझनें है दिल की क्यू न खोता।
कुछ लोग गा रहे है। क्यो मौत का तराना,
कोई न पूछता है। कैसे हुआ जमाना
कैसे कहा बुलाये हम आग इस चमन की,
अस्मत बचाए माँ की और आबरू बहन की।
ये लोग बेच देगे अखलाख का कफन भी,
ये लोग बेच देगे मादरे वतन भी।
मै सोच ही ना पाता कैसे कुछ न बोलूँ।
आफत की इस धड़ी में कैसे जुवां न खोलूँ।
ऐसा नशा आखिर क्यू मुझ पर चढ़ रहा है।
जब शायरी और नजमें कोई न पढ़ रहा है,
सिरफिरा हूँ, तेरे बिना, सिरफिरा हूँ, तेरे बिना,
कोई जिसे न जाने- ऐसा हूँ मैं मशविरा॥

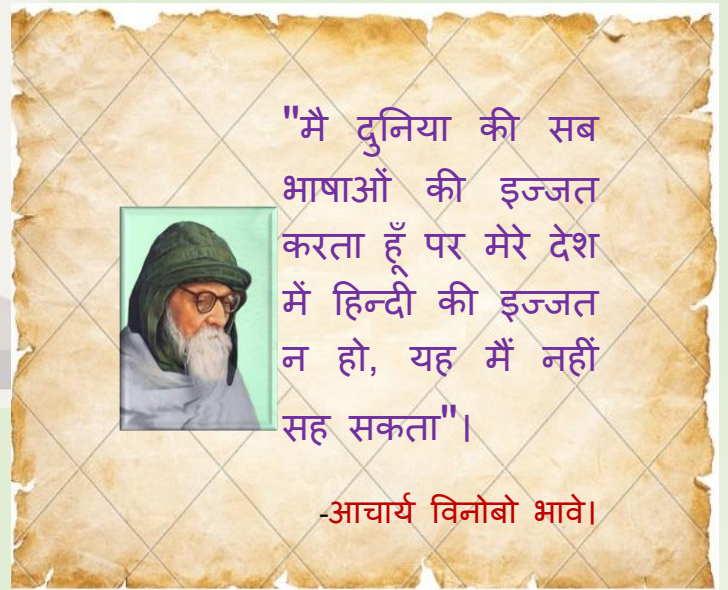


अर्चित सिंह

सुपुत्र श्री गिरीश कुं सिंह,
आशुलिपिक, मुख्य
अभियंता(पटना) का कार्यालय,
केलोनिवि, पटना



कुंदन कुमार, उ.श्रे.लि.,
मुख्य अभि. (पटना) का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।



"मै दुनिया की सब
भाषाओं की इज्जत
करता हूँ पर मेरे देश
में हिन्दी की इज्जत
न हो, यह मैं नहीं
सह सकता"।

-आचार्य विनोबो भावे।

जिदंगी का सफर

गुजर रही जिदंगी- गुजर जाएगी॥
 पराये से अपनेपन का
 विश्वास से हमसाए का
 ये एक दूसरे के अटूट रिस्ते का,
 कारवाँ बन जाएगा?
 गुजर रही जिदंगी- गुजर जाएगी
 पुराने दिनो की यादें
 क्या परछाईं ही रह जाएगी।
 दो अनजानों का यह सफर
 क्या एक- दूसरे की पहचान बना पायेगी।
 गुजर रही जिदंगी- गुजर जाएगी॥
 ऐ जिदंगीं तू सोच मत
 चल कहीं आगे निकल
 ये सफर है, खुद तुम्हारी
 गुजर रही जिदंगी- गुजर जाएगी।
 अपनेपन का एहसास दिलाकर
 ये सफर का अपना बनाकर
 गुजर रही जिदंगी में इस रिस्ते को
 हमसाए की तरह एक दूसरे को.....
 गुजर रही जिदंगी----- गुजर जाएगी॥



विद्यानंद कुमार,
 अ०श्रे०लि०, मुख्य अभि. (पटना)
 का कार्यालय,
 के.लो.नि.वि., पटना।



Raagvi Singh
 Class - 2



रागवी सिंह

सुपुत्री श्री यु.के.सिंह, सहायक अभियंता (वि.),
 कार्य० अभि० (वै.) का कार्यालय,
 के.लो.नि.वि., पटना।



Punay Singh



पुण्य सिंह

सुपुत्री श्री यु.के.सिंह, सहायक
 अभियंता (वि.), कार्य० अभि०
 (वै.) का कार्यालय पटना।

राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर

रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार के सपूत अपने साहित्यिक श्रौत्र, वाणी में ओज, लेखनी में तेज, भाषा में गंभीर, सहज स्वभाव जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर कई रचना किए भारत के आजादी के पूर्व और बाद की रचना आज भी जन मानस को ओत-प्रोत करता है।

उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, समाजिक विषमता, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी लेख को इस तरह कलमबद्ध तरीकों से अपनी लेखनी को शब्द दी जिसका वर्णन करना सूर्य को दीपक जलाना जैसा होगा।

दिनकर जी ने एक ओर जहाँ काव्य में वीरता, साहस और पौरुष का आह्वान किया, दूसरी ओर उर्वसी में मानव जीवन की कोमल कान्त भावनाओं को स्वर दिया-

जो भरा नहीं है भावों से बहता जिसमें रस धार नहीं ।
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार
नहीं ॥

दिनकर जी – समाज के हीन भावना से ग्रसित सामाजिक विषमता को ललकारते थे –

तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाके, पाते है जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखलाके ।

हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खीचकर ही रहते है इतिहासो मे लीका।

भारत की भूमि से हिन्दुत्व और सनातन की है जहाँ डाकू ऋषि बनें, जहाँ सम्राट भिक्षुक बनें, जहाँ चरवाहा सम्राट बना, जहाँ नारियाँ योद्धा बनी, जहाँ बालक तपस्वी बने, वृद्धो ने मृत्यु स्वयं चुनी, यहाँ पशु व वृक्ष पूजे गए, जहाँ मृतको को जल, मिला और जहाँ देवता मनुष्य रूप में

जन्मे –

उन्होंने अहंकार पर बोला की – जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।

उन्होंने अपनी लेखनी में, रेणुका, कुरूक्षेत्र, हुंकार, चक्रव्यूह, रश्मिस्थी, उर्वसी एवं रसवंती, परशुराम की प्रतिमा की प्रतीक्षा, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते की रचना के माध्यम से अपने मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले पर कई कविता लिखी उन्होंने हजारों वीर रस हास्य रस, रौद्ररस में अपनी मन की व्यथा और जन समूहों को उत्साहित करने की प्रयास किया।

इनका जन्म 23.09.1908 में सिमरिया बेगुसराय जिला में हुआ था और 24.04.1974 को मृत्यु को प्राप्त किये। उन्हें कई पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कई उच्च पद धारण किये। राज्यसभा के लिए मनोनित किये गये, वे गाँधी जी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रान्तिकारी के समर्थक थे।

उनके शब्द –

सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है।

सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते॥

विधन को गले लगाते है, काँटों में राह बनाते है।

नित जीवन के संधर्षों से, जब टूट चुका हो अन्तर्मन॥

तब सुख के मिले समन्दर का रह जाता कोई अर्थ नहीं।

सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगो का घर हो ।

फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं॥



प्रभाकर झा

कार्यालय अधीक्षक, बोधगया परियोजना
परिमंडल, के.लो.नि.वि., बोधगया।

बेटियाँ

धैर्य और तहजीब की मिसाल है बेटियाँ।
माता पिता का सम्मान करने वाली है बेटियाँ,
सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा है बेटियाँ,
दो घरों की लाज है ये बेटियाँ
इसलिए बचानी है बेटियाँ और पढ़ानी है बेटियाँ।

स्वतंत्र की आज मैं झुलसी है बेटियाँ,
अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी है बेटियाँ,
एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुँची हैं बेटियाँ,
ओलंपिक में पदक पाने वाली भी बेटियाँ,
इसलिए बचानी है बेटियाँ और पढ़ानी है बेटियाँ।

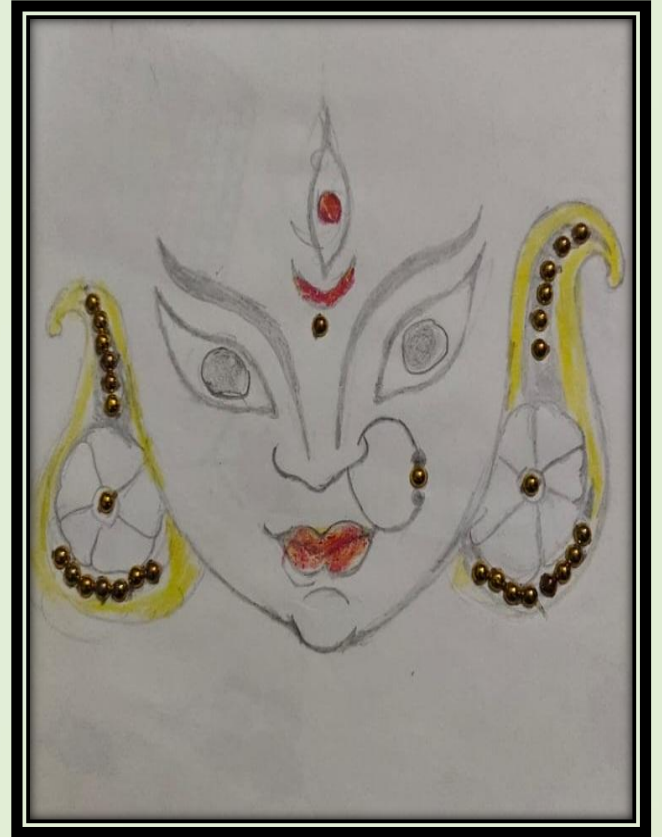
होती है गुरु परिवार की ये बेटियाँ]
है गर्व और सम्मान पिता की ये बेटियाँ,
सृष्टि को चलाने वाली भी बेटियाँ,
ममता और प्रेम का समन्वय ये बेटियाँ,
इसलिए तो बचानी है बेटियाँ और पढ़ानी है बेटियाँ।

सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियाँ,
आत्मसम्मान भी बनाए रखती है बेटियाँ,
स्वयं भूखी रहकर सबकी भूख मिटाती है बेटियाँ,
नौकरी और घर भी साथ-साथ चलाती हैं बेटियाँ,
इसलिए तो बचानी है बेटियाँ और पढ़ानी है बेटियाँ।



वंशिका राज

सुपुत्री श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्वत, उ.श्रे.लि.,
कार्य०अभि०(दीघा परियोजना) का कार्यालय।



अनाहिता चौधरी

मामा श्री अभिषेक कु.चौधरी
आशुलिपिक, मुख्य अभि. (पटना) का
कार्यालय, पटना।



विकास या विनाश

हमें गर्व है कि हमने विकास किया।
परंतु उससे ज्यादा विनाश किया।
एक तरफ हम गर्व करते हैं कि
हमने बहुमंजिले इमारत बनाई।
परन्तु इमारतों के निर्माण में,
हमने बहुतो पेड़-पौधों की बलि चढ़ाई।

हम गर्व करते हैं कि खेती यूक्त
भूमि में फैक्ट्री का निर्माण किया ।
उस फैक्ट्री से वायु, भूमि, नदी
सभी प्रदूषित कर हम गर्व करते हैं कि हमने विकास किया।
जंगल पर आरी चलाई, पर्यावरणी घात किया, नदी में विष घोली
और हम छाती तान कहते हैं हमने विकास किया।

दूषित पर्यावरण से, रोग हज़ारों होय,
तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब खोय।
गाँविया दिखती नहीं, शहर न गाँव में,
जंगल पर आरी चले, पर्यावरणी घात।
रिश्ते सब मरते हुए, चिंता है दिन रात।
फिर भी हमें गर्व है कि हमने किया विकास।

काट दिए जंगल सभी, कांक्रीट हर छोर।
दूषित कर पर्यावरण, हम विकास की ओर।
वृक्षारोपण कर करें, उत्सव की शुरुआत।
पर्यावरण की सुरक्षा, सबसे पहली बात।
हरे वृक्ष जो काटते, उनको है धिक्कार।
पर्यावरण बिगाड़ते, वो सब हैं मक्कार।



गिरीश कुमार सिंह,
आशुलिपिक, मुख्य अभियंता
(पटना) का कार्यालय, केलोनिवि,
पटना।

मौलिक रचना

(थोड़ा है,,, थोड़े और की जरूरत है... : एक व्यंग्यात्मक विचार-धारा)

हमारी मौलिक रचना क्या-क्या हो सकती है, इस बारे में जब सोचना शुरू किया तो दिमाग की घंटी अचानक से बजी कि “ ऐसी कोई वस्तु है भी क्या जो कि इस दुनिया में अपने मौलिक रूप में विद्यमान रह पाती हो” । रासायनिक दृष्टिकोण से अभीतक ज्ञात जितने भी मूल तत्व (elements) हैं वे भी किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर एक स्थायी यौगिक (compound) का निर्माण कर लेते हैं। और फिर, उन्हें भी अपनी उपयोगिता/अस्तित्व का अहसास इस दुनिया में बनाए रखने के लिए कोशिशें करते रहना पड़ता है । हम सभी उनकी उपयोगिता के अनुसार उन सारी चीजों का उपभोग भी करते आ रहे हैं ।

ठीक इसी प्रकार, चाहे वो विज्ञान कि दुनिया हो या दर्शन/अध्यात्म या कोई और दुनिया, सब क्षेत्र में हम अपने अगल-बगल की दुनिया में विद्यमान विभिन्न तत्वों (factors) से प्रभावित होकर ही सोचते-विचारते रहते हैं । इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी - पूर्वक मौलिक रचना कर पाना एक - अकेले इंसान के वश की बात नहीं है, क्योंकि हमारी मानव- सभ्यता का विकास ही चरणबद्ध तरीके से कई युगों के अथक प्रयासों के बदौलत ही हो पायी है ।

फिर भी हम, अकेले - इंसान के तौर पर भी अपने प्रकृति-प्रदत्त शक्तियों से कुछ न कुछ नूतन - सृजन करते रहने में इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि ऐसा करने के दौरान आनेवाली सारी बाधाओं-रुकावटों को हँसते - खेलते पार कर ही लेते हैं एवं इस दुनिया को कोई न कोई एक नया चीज दे ही जाते हैं । जिसकी उपयोगिता से प्रभावित होकर

ये भौतिकवादी दुनिया ऐसे नाचीज - इंसान-प्राणी को भी सम्मान-पूर्वक याद करती रहती है ।

आखिर, प्रकृति के सामने एक बेचारा कहा जानेवाला इंसान सम्मानीय कैसे बन जाता है । क्या किसी के द्वारा सृजित किया गया वही उपयोगी वस्तु ही उसे सम्मान देने का एकमात्र कारण बन जाता है । यदि हाँ, तो हमारी ऐसी उपभोगी - सोच के बारे में चिंतन करना भी लाजिमी है ।

दरअसल, सम्मान देना – लेना एक स्वभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए । हम सबके पास आत्म-सम्मान को बचाए रखने के लिए न्यूनतम संपदा जरूर रहना चाहिए मगर, थोड़ा और के लिए प्रयासरत भी रहना बुरी बात नहीं है ।

परंतु, दुर्भाग्यवश हम किसी से कुछ भी सहयोग या सम्मान पाने के बाद अक्सर कुछ और पाने की इच्छा रखने लगते हैं, भले ही सामने वाला कुछ और देने की परिस्थिति में तत्काल नहीं भी हों । ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज की ग्लोबल – दुनिया में यूक्रेन जैसे खनिज - पदार्थों से सम्पन्न देश को भी नाटो (NATO) में शामिल होने की अपनी इच्छा को जरूरत बनाने मात्र के कारण विगत तीन सालों से खुद की हरी - भरी धरती में युद्ध-स्थली बनकर तहस-नहस होना पड़ रहा है ।

वही अमेरिका की बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति के कारण, आर्थिक रूप से सम्पन्न विकसित देशों के रहम-कर्मों पर पल रही गरीब अफ्रीकी - देशों को अब यह भय एवं निराशा भी सताने लगी है कि जिस अमेरिका ने उनके पेट की आग को अभीतक शांत कर रखा है, उसके गुस्सा का क्या होगा जब उसी अमेरिका के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मिनरल-डील करने में आना-कानी कर दी हो । इतना ही नहीं, अब जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ खड़े सारे यूरोपियन देशों ने दान-

वीर का चोला पहनकर वैश्विक दबंगी दिखाने वाली अमेरिका की विदेश-नीति को एक हास्यास्पद विषय बना डाला हो, ऐसी परिस्थिति में यदि मिनरल-डील नहीं हो पाया तो उन अफ्रीकी - देशों का पालनकर्ता अब कौन होगा ?

वर्तमान दुनिया को देखने वाला अपना नजरिया, अपनी विचार-धारा एवं प्रायः सब कुछ अब अपनी मौलिक सोच-समतल में बह नहीं पा रही है...। क्योंकि, ये भी तो सच ही है कि “ पापी हम नहीं, हमारा पेट है ”, जो यह सोचना कतई नहीं चाहती कि हमारे पेट की अग्नि को शांत करने वाला संसाधन पाप की कमाई से आया है या पुण्य की कमाई से । संक्षेप में, यह कहना कि दुनिया एक तरफ भूखे – प्यासे मर रही है तो दूसरी तरफ उसी भूख-प्यास को शांत रखने के नाम पर चल रही दुनिया की सारी शासन-व्यवस्था भी अपनी पीठ खुद थप-थपाकर आत्म-मुग्ध होते दिखाई पड़ रही है।

अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति का ये कथन कि “ I want neither to RULE nor to be RULED by anyone”, आज उनके ही नहीं, बल्कि सभी देशों के शासकों के लिए प्रासंगिक हो गया है ।

भारत जैसे विकासशील देशों की परस्पर विरोधी विचार – धारा, जो कि एक ओर संगम की धारा में डुबकी लगा लेने मात्र से अपने - आपको पुण्यात्मा घोषित करने के लिए लालायित रहती है वहीं दूसरी ओर, पराए धन को हड़पने की दुनिया वाली उपरोक्त-सोच का धंधा यहाँ की धरातल पर भी समानांतर रूप से पनप रहा है ।

ऐसी परिस्थिति में, अपने-अपने उपभोगी-सोच से ... “ कम – से - कम विश्व-गुरु बनने की इच्छा रखनेवाला एक भारतीय तो बचा हुआ रह ही सकता है ”... इस प्रकार की, विकसित – भारत वाली सोच के अपने संकल्प को दोहराते रहना भी उतना ही जरूरी है

जितना कि “आत्म-सम्मान के साथ जीने के लिए “थोड़ा है,,, थोड़े और की जरूरत है...”,,, वाली सोच का विकसित रखना ।

ईश्वर से यह भी दुआ करना चाहूँगा कि यहाँ की अस्सी करोड़ भारतीय – भूखी - जनता अगले कुम्भ / महाकुंभ आने तक में किसी सरकार के रहमों - कर्मों पर नहीं बल्कि, अपने बल-बूते आत्म - सम्मान की दो - जून की रोटी कमा सके । अन्यथा, अगली बार की भीड़ में, “एक बिहारी, सौ पे भारी” वाली अगली पीढ़ी की विचार – धारा (खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वालों की) , जो कि रोजगार की तलाश में अपने-अपने माता-पिता एवं प्रियजनों से काफी दूर रहते हों, को अपनों तक पहुँचने से पहले ही बिखड़ना पड़ जाएगा एवं बिहार की एकमात्र शेष रह गई संपदा (यनिकी बालू की रेत) में विलीन हो जाना पड़ेगा ...

जय बिहार ,,, जय के.लो.नि.वि. ,,, जय हिन्द



विजय कुमार

सहायक अभियंता, बोधगया
परियोजना परिमंडल, के० लो० नि०
वि०, बोधगया।

घिबली

- हाल ही में, स्टूडियो घिबली-शैली की कला ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें AI-जनित छवियां इस प्रसिद्ध एनीमेशन स्टूडियो की विशिष्ट शैली की नकल कर रही हैं।
- OpenAI के GPT-4o ने उपयोगकर्ताओं को खुद की, प्रसिद्ध हस्तियों की, और यहां तक कि ऐतिहासिक घटनाओं की स्टूडियो घिबली-शैली में चित्र बनाने की सुविधा दी है।
- इस नई AI तकनीक ने एक डिजिटल लहर पैदा की है, जिससे सोशल मीडिया पर घिबली-प्रेरित कला की बाढ़ आ गई है।
- "घिबली" शब्द की उत्पत्ति
- "घिबली" शब्द लीबियाई अरबी से आया है, जिसका अर्थ एक गर्म रेगिस्तानी हवा होता है।
- हयाओ मियाज़ाकी ने इस नाम को इसलिए चुना ताकि यह स्टूडियो एनीमेशन की दुनिया में एक नई ताज़गी और क्रांतिकारी बदलाव लाए।
- स्टूडियो घिबली: Ghibli एक प्रसिद्ध जापानी एनीमेशन स्टूडियो है, जिसे 1985 में हयाओ मियाज़ाकी और इसाओ तकाहाता द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्टूडियो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली एनीमेशन फिल्मों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर जादुई और कल्पनाशील कहानियों पर आधारित होती हैं। Ghibli की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में 'स्प्रिटेड अवे', 'माय नेबर टोटोरो', और 'प्रिंसेस मोनोनोक' शामिल हैं। Ghibli की फिल्में न केवल बच्चों के लिए, बल्कि वयस्कों के लिए भी गहरी भावनाओं और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को छूने वाली होती हैं।
- मियाज़ाकी का एआई पर दृष्टिकोण
- हालाँकि, हयाओ मियाज़ाकी ने एआई-जनित एनीमेशन के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की है।
- वे तकनीक के बजाय पारंपरिक कला रूपों को प्राथमिकता देते हैं।



अभिषेक कुमार चौधरी

आशुलिपिक ग्रेड-1, मुख्य अभि.
(पटना) का कार्यालय, के.लो.नि.वि.,
पटना।

विशेष धन्यवाद

स्वाती रानी

अर्धांगिनी - श्री अभिजीत वर्द्धन, वास्तुक
मुख्य अभियंता पटना का कार्यालय,
के.लो.नि.वि., पटना।

पत्रिका के आवरण पृष्ठ के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ डिजाइन
हेतु।

श्री गिरीश कुमार सिंह, आशुलिपिक,

मुख्य अभियंता(पटना) का कार्यालय
के.लो.नि.वि., पटना।

पत्रिका के आवरण पृष्ठ के अंदर के डिजाइन , लेखों एवं फोटो
आदि को सही ढंग से व्यवस्थित करने हेतु।

साथ ही **सम्पादकीय मंडल** के सभी सदस्यों विशेष कर
श्री अभिषेक कुमार चौधरी, श्रीमती कुमारी पल्लवी सिंहा एवं श्री
रजनीश कुमार को टंकण हेतु ॥





मुख्य अभियंता(पटना) का कार्यालय
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग,
कर्पूरी ठाकुर सदन, पटना।